ਸੀ. ਚ-43020/01/201**5**-ਤਾਰ ਨੀ ਤਾਵੇ भारत समकार सह संद्राप्ट

महं हिल्ले. हिरोक : 80 म. 20के

नार्यालय नापुर

লিখ্য : জুল্ম কা জালিখা, জালিখন, 2015 টা ময়ন ধার্গোলনীস্থা<u>, ১০০</u>০ आहेदन।

अधोनस्ताक्षरी को प्रचरों का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्र मुचना मुख्या करागे हैं सर्वेष_वें *श्रीक्षां सतीवनु*क्षी _{१९ क्षेत्र काम्मि}के दिनांकः 29: 12-120:3-वे-अवेडन-दिन-नेपालप-ने से अंतरण हान दिसोन: 30 . / !2013 में राप्त, को अस्पर्य महारा की असीना काने का निरंश हुआ है, क्योंकि मानी गई सूचना उक्त प्रधान के क्रियकलारी से संबंधित हैं निष्ण अप से संबंध रखेती है। यह अनुसंध किया जाता है कि यदे दिश्य-वस्त का संबंध किसी सन कर्न्य संक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से हैं, तो अदेदक को सूचित करते हुए अदिद्य की सीधै उस प्राधिकारी को अग्रेमित/अंतरित कर दिया जाये।

आवेदक में 10% रू. का निर्धारित शुक्क दिमांक: <u>\$1.1.12.1</u>2013 की रहीट सं.....९२.६२.६. हं तहत जना कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह दी पी एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

動用を (रस. सानंत

अबर हचिवं, भारत सरकार

QTI-272/Div(25-7)/14

प्रति सूचनार्थ प्रेषित श्रीशिनती/पृश्री समय आमी

228 €

उट्टर प्रदेश

राजाजीपूर्य लखनक -226017

(उनसे अनुरोध है कि इसे मोनले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक स्यना अधिकारी/होक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

गृह संत्रालय Ministry of Home Affairs जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6 (जियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

ਦਰੀਵ / RECEIPT

27828	· · .	दिनांवः Dated	20 _
सं. /No	1. 1.	Dateu	20
श्री/श्रीस्ती/सुश्री	**		
Received From Shri/Smt./Km		3. O. '—	m.h
के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ		के दिलांक	20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Dated	20
बैंकर्स चैक/डाफ्ट/भारतीय पोस्टल आईर संख्या			
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Orde	r No		
के रूप में रूपये की नकर धनराशि		* .	•
the sum of Éupees by Cash			
अनुबार के अधिकार अधिक्रियम, 2005 के शहर है	त प्राप्त की। 🦠 🦠		A <u>.</u>
on account of fee under Right to Informati	on Act 2005.		

पदलाम / Designation

र्भेर्चाय जयस्य अनेत्वारी खेड मेलक्या, धान्त खण्ळात् वर्ष किल्की – १९००।

निस्ता, "सन्धनाका क्रिसिसाः क्रिसिस्ट्रियम् ४८०, स्टिस्सिम ६(१) है तल सम्मा क्षियात बढी हेंतु क्षेत्रम

वामीतृत्व शेषाः हातमा भारत सहवार होते, इत्याचित्र खर के तस्त भुस्यत की भैर नू भिती सम्वार के व्यक्ति समीर पर नहिंहा धर्मिटिया की प्रास्त्रही क्षानुस्कृतिक स्वत्यात् प्रतिकात् क्षा प्रतिकात् प्रतिकात् प्रतिकात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स न्यम्पूर्वाताः स्वत्यात् व्याप्तात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत्यात् स्वत वा उक्ताम् वर पान क्रिम् उत्ता वर्षे प्रता वर्षे । वर्षे क्रिम् क्रिम् वर्षे । वर्षे । वर्षे । वर्षे । वर्षे । वर्षे अक्ताम् वर्षे पान क्रिम् क्रिम् अस्ति वर्षे । वर्षे क्रिम् वर्षे । वर्षे क्रिम् वर्षे । वा अक्लान वार पार पार पार है जिस में का काला हिंदिन ए जिस प्रमी देन सिहा कि कि में का कार्य कार भागेंग राहित विक्री असे का निर्वाच किये जाने तक की खेंद्रका ही एवंदिक सभी पत्रविक्षों के एभी अधिलेखों की सभी आद्धें दूस एहिंग स्त्यापित यतियाँ है।

विहित्याल्य 101- वा भारतीय पीट्टल क्वार्टर टंल्य 17 = 583770 एलमें है।

क्रणण क्रीधिमेग्न व्या समुणलन व्यार स्त्यमा

प्राम करे।

. धा-यवाद्

Paria : 27-12-2013

F-2286

दीजाजीपुर्म

लेखनक् – २२६०१८ उत्तर प्रदेख, भारत

felly of St. No. 272

RTI Matter

RTI Matter By Speed Post

No. II.20034/35/2014-IS.II/M Government of India Ministry of Home Affairs (IS.I Division/IS.II Desk)

North Block, New Delhi, Dated: 26 Feb. 2014

То

Shri Sanjay Sharma, F-2286, Rajajipuram, Lucknow (UP)-226017.

Sub: Application of Shri Sanjay Sharma seeking information under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application No Nil dated 27.12.2013 received in the office of undersigned on 05.02.2014 vide MHA OM no 43020/01/2014-RTI dated 30.01.2014.

- 2. On the information sought, it is submitted that The Cabinet has approved a proposal to set up a Commission of Inquiry under Commission of Inquiry Act, 1952, to look into the incidents of physical/electronic surveillance in the States of Gujarat and Himachal Pradesh, and the National Capital Territory of Delhi, allegedly without authorization. You are requested to deposit Rs 62/- (31 Pages @ Rs 2 per page) for copies of correspondence with State Government of Gujarat and complaint received as available in file. However, in regards to other details, it is submitted that keeping in view that the inquiry/investigation has not yet commenced and further that action on the cabinet decision is still in hand and matter is not over, the desired information is exempted from disclosure under Section 8 (1) (h), and 8 (1) (i) of the RTI Act, 2005.
- 3. It is informed that in case you are not satisfied with the reply, you can prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (Internal Security-I), Room No 197-B, North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi, who is the Appellate Authority in this case.
- Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(Rakesh Mittal)
Director (Internal Security-I) & CPIO